



महिलाओं में शिक्षा का प्रसार एवं विकास

डॉ० गीता

शोध छात्रा,

समाजशास्त्र विभाग

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा

भारत में महिलाओं की शिक्षा हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। यदि हम इतिहास को देखें तो महिला शिक्षा में अनेकों उतार-चढ़ाव आये हैं। कभी उसे देवी स्वरूप मान कर उसको समाज में उच्च स्थान दिया गया है तो कभी उसे संरक्षण में रखने योग्य माना गया है।

वर्तमान समय में महिलायें बढ़ती शिक्षा के प्रचार-प्रसार से स्वयं को स्वावलम्बी बना रही हैं। शिक्षा प्राप्त करने में अनेकों कठिनाओं का सामना करना पड़ता है। यदि पारिवारिक सहयोग महिलाओं के साथ हो तो उनको शिक्षा प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि महिला कामकाजी है और उसका परिवार उसे सहयोग करता है तो उसका कार्यस्थल व परिवार के बीच सामंजस्य स्थापित करना और भी सुगम हो जाता है। आधुनिकीकरण का प्रभाव परिवारों के उपर सर्वाधिक है, जिसका प्रभाव सीधे-सीधे महिलाओं के उपर ही पड़ता है।

शिक्षा महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ-साथ आत्मसम्मान का बोध भी कराती है। बहुत सी समस्याएँ ऐसी हैं जिनको वह पुरुषों से भी कह नहीं सकती हैं। यदि महिलाएँ शिक्षित हैं तो वह अपने घर की सभी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकती हैं। किसी भी देश की उन्नति में चाहे वह राजनैतिक, आर्थिक हो महिला शिक्षा को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। समाज के सर्वांगीण विकास के लिये महिला शिक्षा के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

परिवार समाज की ईकाई है और महिला परिवार की आधारशिला। अगर यह कहा जाय कि महिला की भूमिका समाज में एक निर्मात्री की रही हैं तो कोई अतिशेषित न होगी। प्राचीन काल से ही महिला परिवार, जाति एवं समाज के उद्घार के लिये एक मूक कार्यकर्ता की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत करती रही हैं, लेकिन इसे एक विडम्बना ही कहा जायेगा कि पुरुष प्रधान समाज में नारी के इस योगदान की न तो सराहना ही की गई, न ही उसे समर्थन दिया गया।

शिक्षा समाज के उत्थान का सबसे मूल्यवान निवेश है वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक शिक्षा का मूल तात्पर्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा पथ प्रदर्शन करना है इसीलिए शिक्षा महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

वैदिक काल की महिलाएं पुरुषों की भाँति शिक्षा ग्रहण करती थी तथा दार्शनिक वाद-विवादों तथा अन्य धार्मिक क्रिया-कलापों को पुरुषों के समान पूरा करती थी।

अर्थवेद के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विवाह से पहले महिलाओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करते हुए शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी।

इस काल की महिलाएं पुरुषों की भाँति धार्मिक क्रियाओं में भाग लेती थी। रामायण में राम की माता कौशल्या ने राम के राजतिलक से पूर्व उनके अच्छे भाग्य की कामना हेतु शावस्ती यज्ञ का आयोजन किया था।

प्राचीन काल में महिलाओं को दो श्रेणियों में बॉटा गया था। पहली श्रेणी के अन्तर्गत वे महिलाएँ थीं जो शिक्षा प्राप्त करती थीं तथा जिनका उद्देश्य आध्यात्मिक चिन्तन था तथा ऐसी महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया। दूसरी श्रेणी में वे महिलायें थीं जो विवाहित होने तक ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। रामायण में अत्रेयी का उल्लेख मिलता है जो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव-कुश के साथ वेदान्तों का अध्ययन करती थीं। “शिक्षित महिलाएँ विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को भी पूरा करती थीं विभिन्न मंत्रों का उच्चारण करती थीं। रामायण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सीता प्रतिदिन संध्या करती थी” तथा कौशल्या को मंत्रवित व वेदों की पंडिता (ज्ञानी) के रूप में सम्बोधित किया जाता है।

वेदों में नारी की स्थिति अत्यन्त गौरवास्पद वर्णित हुई है। वेदों में नारी देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आर्दश माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी है, सदगृहणी है, साम्राज्ञी है, संतान की प्रथम शिक्षिका है।

उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने वाली है, मर्यादाओं का पालन करने वाली है, जग में सत्य और प्रेम का प्रकाश फैलाने वाली है। यदि गण कर्मानुसार क्षत्रिया है तो धर्मविद्या में निष्णात होकर राष्ट्र रक्षा में भाग लेती है। यदि वैश्य गुणकर्म है तो उच्च कौटि कृषि, व्यापार आदि में योगदान देती है।

विश्ववरा, घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपमुद्रा आदि वैदिक काल की महान ऋषिणी थी। जिन्होंने ऋषियों की भौति वेद मन्त्रों की रचना की थी और ऋषियों के पद को पद को प्राप्त किया था।

उत्तर वैदिक काल में भी महिलाओं को समान शिक्षा के अधिकार प्राप्त थे। महाभारत के आदि पर्व में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिये थे।

स्मृतिकाल में महिला शिक्षा पर प्रतिबन्ध लग गया तथा विवाह की आयु 12–13 वर्ष रह गई। जिससे शैक्षणिक स्तर निम्न होना शुरू हो गया, शिक्षा का अधिकार केवल कुलीन व सम्पन्न परिवारों तक ही सीमित रह गया। इस काल में महिलाओं की अशिक्षा में वृद्धि हुई तथा अत्य आयु में विवाह होने पर वे बाल विवाह जैसी कुरीतियों का शिकार हुई। छठी शताब्दी ई0 पूर्व का युग महिलाओं की शिक्षा में परिवर्तन लाया जैन धर्म के अनुसार जयन्ती जो कि राजा सहस्रनिका (कौशलम्बी के राजा) की पुत्री थी ने महावीर स्वामी से संघदीक्षा प्राप्त की।

वैदिक तथा स्मृतिकाल की अपेक्षा मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त अमानवीय हो गई, पर्दाप्रथा, बाल विवाह जैसे कुरीतीओं के कारण शिक्षा का अधिकार केवल कुलीन मुस्लिम महिलाओं तक की सीमित रह गया।

19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति में फिर परिवर्तन हुआ क्योंकि इस समय मुस्लिम साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो चुका था और भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आगमन हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रारम्भ उद्देश्य व्यापार और धर्म प्रचार करना था। धर्म का प्रचार करने के लिये सन् 1614 से उन्होंने भारत वासियों को प्रशिक्षित करना प्रारम्भ कर दिया। सन् 1659 के प्रेषित पत्र में कम्पनी के संचालकों ने भारतवासियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करने की इच्छा व्यक्त की, सन् 1698 में विद्यालय खोलने के आदेश दिये। सन् 1698 के आज्ञा पत्र के अनुसार मद्रास और बम्बई में दान आश्रित विद्यालय खोले गये।

सन् 1882 में भारतीय शिक्षा की जॉच के लिये 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को व्यवहारिक जीवन के लिए लाभप्रद बनाना था।

निष्कर्ष

शिक्षा के बहुआयामी लाभ चाहे वे बौद्धिक स्तर की गुणवत्ता के सुधार हो या जीविका के क्षेत्र में महिलाओं को निरन्तर आगे बढ़ने के लिए प्रेरक रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे पारिवारिक मामलों में सुझाव प्रस्तुत करती हैं। यह सब शिक्षा का प्रभाव ही है। वर्तमान युग के आर्थिक दबावों के कारण परिवार का सफल संचालन मात्र पुरुष की आय से सम्भव नहीं है। ऐसे में महिला शिक्षा के प्रचार-प्रसार से स्वयं स्वावलम्बी बना रही है।

सन्दर्भ सूची

1. एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज मेकमिलन फ्री प्रेस, 1968, 442
2. कपूर प्रमिला, द चेजिंग स्टेट्स ऑफ वर्किंग वीमेन इन इंडिया, नई दिल्ली, विकास पब्लिकेशन, 1974, 122
3. एओआर० देसाई, सोशियल बैंक ग्राउन्ड ऑफ इंडियन नेशनेलिज्म बम्बई, पापुलर प्रकाशन 1966, 274
4. वेदों में नारी, द आर्य समाज ब्लाग
5. चौहान, आई०एस० एण्ड बायस वी०एस०, सोशल स्ट्रक्चर एण्ड रुरल डेवलेपमेन्ट (1995) रावत पब्लिकेशन

6. देसाई, नीरज ए० वूमेन इन मार्डन इण्डिया, वोरा एण्ड को० पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई १९७७